



2026:AHC:49284

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 5502/2026

सुग्रीव एवं 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....विपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अनिल कुमार, सतीश कुमार पांडे

विपक्षी के अधिवक्ता

: अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता और विपक्षी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.सी. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. विपक्षी संख्या 3/उप-जिलाधिकारी, घिरोर, मैनपुरी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (जिसे इसके बाद "संहिता, 2006" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा 2 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 के विरुद्ध, याचिकाकर्ता द्वारा संहिता, 2006 की धारा 38 की उप-धारा 4 के तहत प्रावधानित वैधानिक अपील, अंतरिम राहत प्रदान करने के आवेदन के साथ दायर की गई थी। अपील स्वीकार कर ली गई और अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड मंगवाए गए लेकिन स्थगन आवेदन को विपक्षी संख्या 2/अपर आयुक्त (न्यायिक), आगरा मंडल, आगरा ने अपने आदेश दिनांक 04.12.2025 के माध्यम से खारिज कर दिया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अंतरिम राहत आवेदन को खारिज करते समय विपक्षी संख्या 2 द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है।
4. इस तथ्य को विपक्षियों के विद्वान अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
6. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील संख्या सी20250100003411 में अंतरिम राहत आवेदन पर विपक्षी संख्या 2/अपर आयुक्त (न्यायिक), आगरा मंडल, आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2025 बिना कोई कारण बताए दिया गया है।
7. उच्चतम न्यायालय ने 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनाम मैसर्स इंदौर कंपोजिट प्रा. लि.', सिविल अपील संख्या 7240/2018 में तय किया है कि:

"14. वास्तव में, अपील में शामिल तथ्यात्मक और कानूनी विवाद पर न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना और बिना किसी चर्चा, मूल्यांकन, तर्क और मुद्दों पर स्पष्ट निष्कर्ष के, और बिना यह बताए कि रिट याचिका में आक्षेपित निष्कर्ष क्यों बरकरार रखने या उलटने योग्य हैं, तथा मामले पर लागू कानूनी सिद्धांतों के आलोक में पक्षों के तर्कों पर विचार किए बिना, इस न्यायालय के लिए खंडपीठ के ऐसे आदेश को बनाए रखना कठिन है। रिट याचिका का निस्तारण करने में खंडपीठ द्वारा उपयोग की गई एकमात्र अभिव्यक्ति "उचित विचार करने पर" है। हमारे लिए यह स्पष्ट नहीं है कि वह क्या उचित विचार था जिसने खंडपीठ को रिट याचिका का निस्तारण करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि हम पाते हैं कि पहले के पैराग्राफों में केवल तथ्य निर्धारित किए गए हैं।

15. समय-समय पर, इस न्यायालय ने न्यायालयों पर हर मामले में तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें वाद के पक्षों के मामले के नग्न तथ्यों का वर्णन, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलें, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और सभी उत्पन्न मुद्दों पर निष्कर्षों के समर्थन में तर्क शामिल होने चाहिए...। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि खंडपीठ रिट याचिका का निस्तारण करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने में विफल रही। हमारे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विचार में, ऐसे आदेश ने निस्संदेह पक्षों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाला है क्योंकि इसने उन्हें यह जानने के कारणों से वंचित कर दिया कि एक पक्ष क्यों जीता और दूसरा क्यों हारा। हम कभी भी उस तरीके का समर्थन नहीं कर सकते जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया था जिसने हमें रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजने के लिए मजबूर किया है।"

8. उच्चतम न्यायालय ने 'बृजमणि देवी बनाम पप्पू कुमार, (2022) 4 एससीसी 497' के मामले में निम्नानुसार माना है:—

"32. न्यायालय द्वारा, या यहाँ तक कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के लिए कारण बताने के कर्तव्य के पहलू पर, इस न्यायालय के 'क्रांति एसोसिएट्स (पी) लि. बनाम मसूद अहमद खान [(2010) 9 SCC 496]' के निर्णय को संदर्भित करना उपयोगी होगा, जिसमें कई निर्णयों का संदर्भ देने के बाद इस न्यायालय ने पैरा 47 में इस बिंदु पर कानून का सार प्रस्तुत किया है। इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक सिद्धांत निम्नानुसार उद्धृत हैं:

32.1. कारण दर्ज करने पर जोर न्याय के व्यापक सिद्धांत की सेवा करने के लिए है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।

32.2. कारणों को दर्ज करना किसी भी संभावित मनमाने न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या यहाँ तक कि प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग पर एक वैध अंकुश के रूप में भी कार्य करता है।

32.3. कारण यह आश्वस्त करते हैं कि निर्णय लेने वाले द्वारा विवेक का प्रयोग प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों को दरकिनार करते हुए किया गया है।

32.4. कारण वस्तुतः निर्णय लेने की प्रक्रिया का उतना ही अपरिहार्य घटक बन गए हैं जितना कि न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहाँ तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



32.5. कानून के शासन और संवैधानिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रहा न्यायिक रुझान प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित तर्कपूर्ण निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने का प्राणतत्त्व है जो इस सिद्धांत को न्यायोचित ठहराता है कि 'तर्क ही न्याय की आत्मा है'।

32.6. न्यायिक या यहाँ तक कि अर्ध-न्यायिक राय इन दिनों न्यायाधीशों और अधिकारियों की तरह ही अलग-अलग हो सकती हैं। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की सेवा करते हैं जो तर्क द्वारा यह प्रदर्शित करना है कि प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। न्याय वितरण प्रणाली में वादियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

32.7. तर्क पर जोर न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए एक आवश्यकता है।

32.8. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूर्व-निर्णय के सिद्धांत या क्रमिक विकास के सिद्धांतों के प्रति वफादार है या नहीं।

32.9. निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का दिखावा या "रबड़-स्टैम्प कारण" को वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के समान नहीं माना जा सकता है।

32.10. इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि पारदर्शिता, न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अनिवार्य शर्त है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णय लेने वालों को त्रुटियों के प्रति कम प्रवृत्त बनाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जांच के अधीन भी लाती है। (देखें: डेविड शापिरो, 'इन डिफेंस ऑफ ज्यूडिशियल कैंडोर' [(1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731-37])

32.11. सभी कॉमन लॉ क्षेत्राधिकारों में निर्णय भविष्य के लिए मिसालें स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, कानून के विकास के लिए, निर्णय के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कारण बताने की आवश्यकता अनिवार्य है और वस्तुतः यह "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

9. मामले के इस पहलू को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि चूंकि अपील संख्या सी20250100003411 में अंतरिम राहत आवेदन पर विपक्षी संख्या 2/अपर आयुक्त (न्यायिक), आगरा मंडल, आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2025 बिना कोई कारण बताए दिया गया है, इसलिए वह निरस्त किए जाने योग्य है और इसके द्वारा निरस्त किया जाता है। विपक्षी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अंतरिम राहत आवेदन पर नया आदेश पारित करें, परंतु संबंधित सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 11, 2026

सकलेन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”